रजिस्ट्री सं० डीण्एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section—3 Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 671] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 1997/अग्रहायण 14, 1919

No. 671] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 1997/AGRAHAYANA 14, 1919

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 5 दिसम्बर, 1997

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1997

का.आ. 823(अ).— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) विनियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है ।

1. (i) इन नियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1997 कहा जा सकेगा ।

(ii) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) विनियम, 1995 (इसमें इसके पश्चात् 'विनियम' के रूप में निर्दिष्ट) में—

(क) विनियम 6 में, एक नया खण्ड (च) परिवर्धित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(च) क्या आवेदक एक योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है ।"

(ख) विनियम 13 के उप-विनियम (1) में, खण्ड (ख) के पश्चात् और खण्ड (ग) के पहले एक नया खण्ड (खख) अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(खख) आवेदक एक योग्य ओर उपयुक्त व्यक्ति है ।"

(ग) विनियम 15 के उप-विनियम (3) के खण्ड (ग) के पश्चात्, एक नया खण्ड (घ) परिवर्धित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) एक विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता या प्रतिभूतियों जो दस करोड़ रुपये या अधिक मूल्य की हैं के योग वाला एक उप-लेखा, नवीनतम तुलनपत्र तारीख को, ऐसे अनुदेशों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं, 15 जनवरी, 1998 को या के पश्चात् प्रविष्ट अपने संव्यवहारों का निपटान, केवल अभौतिकीकृत प्रतिभूतियों के माध्यम से करेगा ।"

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/2214/97]

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :—

(1) भाप्रविबो (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) विनियम, 1995 मूल विनियम, सं. भाप्रविबो/विधि/918(अ), 14 नवम्बर, 1995 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(2) भाप्रविबो (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) विनियम, 1995 का संशोधन भाप्रविबो (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) संशोधन विनियम, 1996 द्वारा हुआ था, जो 9 अक्तूबर, 1996 को भारत के राजपत्र, का.आ. सं. 702(अ), में प्रकाशित हुआ था।

(3) भाप्रविबो (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) विनियम, 1995 का संशोधन भाप्रविबो (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1996 द्वारा हुआ था जो 19 नवम्बर, 1996 को भारत के राजपत्र, का.आ. सं. 799(अ), में प्रकाशित हुआ था ।

(4) भाप्रविबो (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) विनियम, 1995 का संशोधन भाप्रविबो (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) संशोधन विनियम, 1997 द्वारा हुआ था जो 12 फरवरी, 1997 को भारत के राजपत्र, का.आ. सं. 105(अ), में प्रकाशित हुआ था ।

(5) भाप्रविबो (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) विनियम, 1995 का और संशोधन भाप्रविबो (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1997 द्वारा हुआ था जो 10 जुलाई, 1997 को भारत के राजपत्र, का.आ. सं. 495(अ), में प्रकाशित हुआ था ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th December, 1997

Securities and Exchange Board of India

(Foreign Institutional Investors)

(Third Amendment) Regulations, 1997

S.O. 823(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) Regulations, 1995.

1. (i) These Regulations may be called the Securities and exchange Board of india (Foreign Institutional Investors) (Third Amendment) Regulations, 1997.

 (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Securities and Exchange board of India (Foreign Institutional Investors) Regulations, 1995 (hereinafter referred to as the 'Regulations')—

 (a) in regulation 6, a new clause (f) shall be added, namely :—
 "(f) whether the applicant is a fit and proper person."

 (b) in sub-regulation (1) of regulation 13, a new clause (bb) after clause (b) and before clause (c) shall be inserted, namely :—
 "(bb) the applicant is a fit and proper person."

 (c) after clause (c) of sub regulation (3) of Regulation 15, a new clause (d) shall be added, namely:—
 "(d) a Foreign Institutional Investor or a sub-account having an aggregate of securities which are worth rupees ten crore or more, as on the latest balance sheet date, shall, subject to such instructions as may be issued from time to time by the Board, settle their transactions entered on or after January 15, 1998, only through dematerialised securities."

[F. No. SEBI/LE/2214/97]
D.R. MEHTA, Chairman

Footnote :—

(1) SEBI (Foreign Institutional Investors) Regulations, 1995 the principal regulation, was published in the Gazette of India on November 14, 1995, vide No. SEBI/LE/918 (E).

(2) SEBI (Foreign Institutional Investors) Regulations, 1995 was amended by the SEBI (Foreign Institutional Investors) Amendment Regulations, 1996 which was published in the Gazette of India on October 9, 1996, vide S.O. No. 702 (E).

(3) SEBI (Foreign Institutional Investors) Regulations, 1995 was amended by the SEBI (Foreign Institutional Investors) (Second Amendment) Regulations, 1996 which was published in the Gazette of India on November 19, 1996, vide S.O. No. 799 (E).

(4) SEBI (Foreign Institutional Investors) Regulations, 1995 was amended by the SEBI (Foreign Institutional Investors) Amendment Regulations, 1997 which was published in the Gazette of India on February 12, 1997, vide S.O. No. 105 (E).

(5) SEBI (Foreign Institutional Investors) Regulations, 1995 was further amended by the SEBI (Foreign Institutional Investors) (Second Amendment) Regulations, 1997 which was published in the Gazette of India on July 10, 1997, vide S.O. No. 495 (E).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997